

न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का रोहिण्डी
बनाम

अप्रार्थी :- श्री बन्नाराम पुत्र भागीरथ राम जाट निवासी मालासगुसाईया
अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956
प्रकरण संख्या 76/17


निर्णय दिनांक 02/11/2017

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रोहिण्डी ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2074 में सरहद मालासगुसाईया के ख.न 739 रकबा 0.08 है. भूमि किसम रास्ता में मूंग की काशत कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं से नोटिस तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी दिनांक 15.9.2017 को उपस्थित हुए जबा प्रस्तुत किया जिसमे बताया की मेरे द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है। जबाब शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 5 रूपये प्रति हैक्टेयर से की दर से अतिक्रमित रकबा 0.0800 है. भूमि के 0.40 रूपये लगान का 50 गुणा 20/- अक्षरे बीस रूपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। साथ ही मौके पर बोई गई मूंग की फसल को भू.अ. निरीक्षक रोहिण्डी द्वारा कुर्क कर निलाम की गई जिसमें अन्तिम बोली रूपये 205/ अक्षरे दो सौ पांच रूपये श्री खिंया राम पुत्र मेवा राम जाट निवासी मालासगुसाईया की रही जो स्वीकृत की गई जुर्माना एवं फसल निलामी राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर एवं भू.अ.निरीक्षक रोहिण्डी को वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल द तर हो।


तहसीलदार परबतसर

17-11
बजट नंबर 201-497/2017
तहसील राजस्व लेखाकार